राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र.

(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन
पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी
भोपाल–462016 (म.प्र.)
बेवसाईट– http://www.mpseiaa.nic.in
दूरभाष नं. – 0755–2466970, 2466859
फैक्स नं. – 0755–2462136

No: 54 / SEIAA/2022
Date: 20/5/22

प्रति,

कलेक्टर,
जिला – शिवपुरी (म.प्र.)

विषयः–प्रकरण कमांक 9096/2022 – परियोजना प्रस्तावक श्री अंकुश शिवहरे आत्मज श्री ओमप्रकाश शिवहरे, निवासी मकान न. 02, तानसेन नगर, जिला ग्वालियर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 8085 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 38/4, 38/8, रकबा 1.0 हेक्टेयर, ग्राम धवाई, तहसील बदरवास, जिला शिवपुरी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

प्रकरण *SEAC* समिति की 564 वी बैठक दिनांक 15.04.2022 में की गई अनुशंसा को आंशिक रूप से मान्य करते हुये राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण 721 वी बैठक दिनांक 06.05.2022 में निम्ननुसार निर्णय लिया गयाः–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जिला खनिज अधिकारी के एकल प्रमाण पत्र क्र. 109 दिनांक 18.01.2022 में उल्लेख किया गया है कि आवेदक द्वारा अंतरण पूर्व धारा–165 (MPLRC) के अंतर्गत कोई अनुमति प्राप्त नही की गई है, इस कारण उत्खनिपट्टा दिये जाने पर सहरिया आदिवासी भूमिहीन हो जायेंगे एवं प्रकरण में यह भी स्पष्ट नही किया गया कि उक्त भूमि पर खनन् से सहरिया आदिवासियों के श्रम के अतिरिक्त आर्थिक हित के लिये क्या प्रावधान है ।

अतः राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि प्रकरण में जिला कलेक्टर शिवपुरी के माध्यम से प्रस्तावित खदान की अद्यतन स्थिति की जानकारी 15 दिवस में प्राप्त की जाये, तद्‌नुसार प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

उपरोक्त निर्णय अनुसार सहरिया आदिवासियों के भविष्य के दृष्टिगत प्रस्तावित खदान की अद्यतन स्थिति की जानकारी 15 दिवस के अंदर SEIAA कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करे।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

पृ.क्र. 5a /SEIAA/2022 दिनांक – 20/5/22

प्रतिलिपिः–

1. जिला खनिज अधिकारी, जिला – शिवपुरी (म.प्र.)
2. श्री अंकुश शिवहरे आत्मज श्री ओमप्रकाश शिवहरे, निवासी मकान न. 02, तानसेन नगर, जिला ग्वालियर

(आलोक नायक)
प्रभारी अधिकारी